17/2017 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A2
2

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 17/17
ओमप्रकाश वगैरा बनाम सरपंच,ग्रा0पं0 सतजण्डा व अन्य

आदेश दिनांक : 03-05-17

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। ग्राम पंचायत के अधिवक्ता उपस्थित। ग्राम पंचायत की ओर से फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य एवं निगरानी का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि निगरानीकृत भूखण्ड पर पुराना कब्जा है। नियमन किये जाने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष लंबित है। मकान बना हुआ है। निगरानीधीन नोटिस दिनांक 11–4–17 के द्वारा ग्राम पंचायत अहाता सं0 21,22, व 37 के पूर्व दिशा में आर सी पी नक्शा में आबादी भूमि के पूर्व दिशा में 50 गुणा 450 फुट छोड़ी गई जगह पर निगरानीकर्ता का कब्जा बताते हुए अतिक्रमण माना गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय में की गई अपील का निर्णय निगरानीकर्ता के विरूद्व होना अंकित करते हुए अतिक्रमण सात दिवस में हटा लेने के आदेश दिये गये हैं जबकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का अतिक्रमण नहीं माना है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी के निर्णय तक अतिक्रमण नहीं हटाये जाने का आदेश दिया जाये।

ग्राम पंचायत के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता के रिहायशी पट्टा शुदा मकान को तोड़ा नहीं जा रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा किये गये कब्जे की जगह पर जो निर्माण किया हुआ है, को हटाया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी निगरानीकर्ता को स्थगन नहीं दिया गया है तथा स्थगन याचिका खारिज की गई है। मा0 सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय भी निगरानीकर्ता के खिलाफ हैं। अतः निगरानीकर्ता के पक्ष में कोई मामला नहीं बनता है और न ही अतिक्रमण की हुई जगह पर निगरानीकर्ता का कोई टाईटल है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र एवं निगरानी खारिज की जावे

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की जा चुकी है। विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियॉ अभिलेख पर हैं। जहॉ तक स्थगन का प्रश्न है, मा0 सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा विविध दीवानी प्रकरण सं0 15/16 में दिनांक 21–3–16 को निर्णय पारित कर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस आदेश के विरूद्व मा0 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, रायसिंहनगर में विविध दीवानी अपील सं04/16 दायर हुई, जिसके निर्णय दिनांक 5–5–16 द्वारा विविध दिवानी अपील खारिज की जाकर, मा0 सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 21–3–16 को सम्पुष्ट किया गया है। इसी प्रकार मा0 राज0 उच्च न्यायालय द्वारा भी निगरानीकर्ता की सिविल रिट सं0 5606/16 में दिनांक 30–8–16 को आदेश पारित कर स्थगन याचिका खारिज कर दी गई है। इस प्रकार निगरानीकर्ता को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन बाबत अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है।

निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई सारवान दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि पर उसका कोई टाईटल हो। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू साबित न होने से स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि निगरानीकृत जगह पर उनका पुराना कब्जा है। नियमन किये जाने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष लंबित है। मकान बना हुआ है। निगरानीधीन नोटिस दिनांक 11–4–17 के माध्यम से निगरानीकर्ता के बने हुए मकान को तोड़ना चाहते हैं।

मेरे विन्रम मत में, चूँकि आबादी भूमि पर पट्टे बनाये जाने का अभियान ग्राम स्तर पर वर्तमान में चल रहा है। यदि निगरानीकर्ता का कब्जे की भूमि को नियमन करने प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर विचाराधीन है तो चल रहे अभियान के अन्तर्गत निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत स्तर पर विधिसम्मत कार्यवाही करनी चाहिये और यदि निगरानीकर्ता को पूर्व में जारी पट्टे के अतिरिक्त भूमि पर निगरानीकर्तागण का अवैध अतिक्रमण है तो ऐसे अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए विधिसम्मत् कार्यवाही करने को ग्राम पंचायत स्वतन्त्र है। अतः उपरोक्तानुसार निगरानी का निस्तारण किया जाता है। आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे। आदेश सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner